जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 04.10.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 78 अदद लोहे की सरिया का टुकडा, 01अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 01 अदद टाटा मिनी पिकप के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 308/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अरबाज हसन पुत्र गुलहसन साकिन तकियवा कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को **78 अदद लोहे की सरिया का टुकडा, 01अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 01 अदद टाटा मिनी पिकप के साथ** ग्राम मदरहा नहर मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी अमित कुमार पुत्र विश्नाथ निवासी चंदिया पोस्ट माधवपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 03.10.2024 को थाना बखिरा पर सूचना दिया गया कि दिनांक 02/03.10.2024 की रात्रि में ग्राम मेड़रापार में नाला निर्माण हेतु सरिया को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। थाना बखिरा पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 04.10.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

अरबाज हसन पुत्र गुलहसन साकिन तकियवा कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरण*– 78 अदद लोहे की सरिया का टुकडा, 01अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 01 अदद टाटा मिनी पिकप**।

***पूछताछ का विवरण*-** पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.10.2024 को रात्रि लगभग 03.00 बजे कस्बा बखिरा से सहजनवा रोड़ पर मेडरापार में हो रहे नाला निर्माण हेतु रखे गये सरिया के टुकड़ों को बरामद पिकप से चोरी किया था, जिसको बेचने के लिए लेकर दुर्गजोत की तरफ जा रहा था कि गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 अभयनन्दन, का0 सूरज रावत, का0 संजय यादव।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता/अपहृता बरामद ***

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री जय प्रकाश दुबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 376/2024 धारा 87,137(2) बी0एन0एस0 के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता चन्दन कुमार पुत्र बेचन निवासी बाकरगंज थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 02.10.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता/अपहृता को बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 अनिल यादव, का0 अंकित कुमार व म0का0 आरती सिंह।